पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.14526

==========

1. अशोक कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय अंबिका प्रसाद सिंह, निवासी- गाँव-पाकड़ा, थाना-नौगाचिया, जिला-भागलपुर।

2. हेमंत कुमार सिन्हा उर्फ हेमंत कुमार सिंह, पुत्र-स्वर्गीय मथुरा प्रसाद, निवासी- गाँव-पकरा, थाना-नौगाचिया, जिला-भागलपुर।

3. रॉबिन कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय अरुण कुमार सिंह, निवासी- गाँव-पाकड़ा, थाना-नौगचिया, जिला-भागलपुर।

4. राज कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय कृष्ण कुमार प्रसाद सिंह, निवासी- गाँव-पाकड़ा, थाना-नौगचिया, जिला-भागलपुर।

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, बिहार सरकार, पटना के सचिव के माध्यम से।

2. कलेक्टर-सह-जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर।

3. पुलिस अधीक्षक, नौगाचिया, जिला-भागलपुर।

4. उप-मंडल मजिस्ट्रेट, नौगाचिया, जिला-भागलपुर।

5. जिला मत्स्य अधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागलपुर।

6. श्रीमती. मीरा देवी, मंत्री, नौगाचिया ब्लॉक मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड, नौगाचिया, जिला-भागलपुर।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सलाउद्दीन खान, अधिवक्ता

श्री ब्रजेश कुमार सिंह, अधिवक्ता,

राज्य के लिए श्री साजिद सलीम खान, एससी-25

उत्तरदाता संख्या 6 के लिए : श्री बैदनाथ ठाकुर, अधिवक्ता

==========

भारत का संविधान --- अनुच्छेद 226 --- बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 --- प्रतिवादी राज्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के जलकरों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए रिट याचिका क्योंकि जलकर निजी स्वामित्व वाले जलकर हैं जैसा कि 1965 के शीर्षक सूट संख्या 23 में तय किया गया है --- याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि प्रतिवादी अधिकारियों बिल्कुल भी यह दलील नहीं दे सकते है कि विचाराधीन जलकर बिहार राज्य के हैं क्योंकि बिहार राज्य ने संबंधित शीर्षक सूट में पारित निर्णय और डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी थी जब बिहार राज्य एक पक्ष था।

*निष्कर्ष: राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके याचिकाकर्ताओं को परेशान कर रहा है, क्योंकि अधिकारी, संबंधित जलकरों पर याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व की घोषणा करने वाले निर्णय और डिक्री को चुनौती दिए बिना, निजी प्रतिवादियों के पक्ष में जलकरों का निपटान लगातार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से दर्शाता है कि अधिकारियों को सक्षम सिविल अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है--- जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता, भागलपुर तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर को निर्देश दिया गया कि जब तक टाइटल सूट संख्या 23/1965 में पारित निर्णय एवं डिक्री अस्तित्व में है, तब तक याचिकाकर्ताओं के निजी जलकरों में हस्तक्षेप न किया जाए - रिट निपटारा। **(पैरा- 8, 17, 18)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा

मौखिक निर्णय

तिथि : 20-01-2025

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री साजिद सलीम खान, राज्य के लिए अधिवक्ता एससी-25 और निजी प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों ने श्री एन. एम. ग्रांट से दो पंजीकृत बिक्री विलेख दोनों दिनांकित 19.12.1944 (अनुलग्नक-1 और 2) द्वारा खरनई नदी और तिल जुग्गाधर नामक 2 जलकरों के मत्स्य अधिकार खरीदे थे। और तब से याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों ने दोनों जलकरों के भौतिक कब्जे /प्राप्त किया और हुकुममा जारी करके अपने अपनी बंदोबस्तियों के माध्यम से मछली पकड़ने के अधिकार शुरू कर दिए। जलकरों को खरीदने के बाद, याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों के नाम दर्ज किए गए और श्री एन. एम. ग्रांट के स्थान पर भागलपुर के कलेक्ट्रेट में रजिस्टर-डी के रूप में जाने जाने वाले जलकर रजिस्टर में मालिकों और मालिकों के रूप में पंजीकृत किए गए और जलकरों की पहचान तौज़ी संख्या 335 और 336 के रूप में की गई। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (जिसे इसके बाद '1950 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लागू होने के बाद, वर्ष के लिए परवाना (आईडी1) मछुवा सहयोग समिति के पक्ष में इस आधार पर जारी किया गया था कि प्रश्नगत जलकर बिहार

राज्य में निहित है। याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों ने 1965 का शीर्षक/टाईटिल/स्वामित्विक मुकदमा संख्या 23 दायर किया जिसमें बिहार राज्य को मछुवासहयोग समिति और अन्य लोगों के साथ, प्रतिवादी राज्य और माचुवा सहयोग समिति के खिलाफ, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और यह घोषणा करने के लिए भी की गई थी कि उक्त जलकरों में मछली पकड़ने का अधिकार 1950 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य में निहित नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश, भागलपुर ने दिनांक 16.02.1973 (अनुलग्नक-3) के निर्णय और डिक्री के माध्यम से पक्षों को सुनने के बाद राज्य प्राधिकरणों और माचुवा सहयोग समिति (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) को जलकरों के साथ हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया।

3. 1965 के शीर्षक/स्वामित्विक वाद संख्या 23 में उपरोक्त निर्णय और डिक्री किसी भी चुनौती के अभाव में अंतिम रूप से मान्य है और इस प्रकार, उनके बाद याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के पूर्वज जलकरों के भौतिक कब्जे में रहते हैं और अपनी बंदोबस्तियों के माध्यम से बंदोबस्त करके अपने मछली पकड़ने के अधिकार का प्रयोग करते हैं और उक्त स्थिति 1990 तक जारी रही।

4. राज्य के अधिकारियों ने 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित निर्णय और डिक्री की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए परवाना को फिर से जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 1992 का शीर्षक वाद संख्या 31 दायर करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि यह घोषणा की जा सके कि बिहार राज्य को समिति के पक्ष में जलकरों को बंदोबस्त करने का कोई अधिकार नहीं है और बिहार राज्य और समिति को प्रश्नगत जलकरों पर वादी (याचिकाकर्ताओं) के मछली पकड़ने के अधिकारों में बाधा डालने और हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 1992 के शीर्षक वाद सं. 31 को 28.02.2011 (अनुलग्नक-4) पर वादी के पक्ष में घोषित किया गया था और राज्य

प्राधिकरणों को वादी के अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया था, इस प्रकार, 1992 के शीर्षक वाद सं. 31 में पारित निर्णय ने 1965 के शीर्षक वाद सं. 23 में निर्णय और डिक्री की पुष्टि की।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के बंदोबस्तियों ने वर्ष 1965 के शीर्षक वाद सं. 23 और 1992 के शीर्षक वाद सं. 31 में निर्णय और डिक्री की पूरी तरह से अनदेखी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 08.11.2021 को प्रतिवादी द्वारा जारी परवाना को रद्द करने के लिए सी.डब्लू.जे.सी. सं. 19883/2021 भी दायर की है ।

6. इस न्यायालय ने 2021 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 19883 में, 15.12.2021 (अनुलग्नक-6) दिनांकित एक आदेश द्वारा परवाना पर रोक लगा दी, इसके बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवासियों/बंदोबस्तियों ने उक्त जलकरों में मछली पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन प्रतिवादी नं 4 ने धारा 144 सी.आर.पी.सी के तहत कार्यवाही शुरू की और इस अदालत/न्यायालय ने उत्तरदाताओं के प्रस्तुतीकरण के आधार पर 2021 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 19883 में दिनांकित 15.12.2021 के स्थगन आदेश को 24.03.2022 (अनुलग्नक-7) के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया, जिसके कारण समिति के लोगों द्वारा जलकरों की पूरी मछली को लूट लिया गया।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि वर्ष 2021-2022 के लिए जारी किए गए परवाना का समय समाप्त हो गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को पता चला है कि प्रतिवादी नं. 5 ने पहले ही प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में वर्ष 2023-2024 के लिए परवाना जारी कर दिया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने आर. टी. आई. अधिनियम (अनुलग्नक-8) के तहत परवाना जारी करने के बारे में जानकारी मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के जलकरों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम, 2006 का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि जलकर निजी स्वामित्व वाले जलकर हैं जैसा कि 1965 के शीर्षक मुकदमा संख्या 23 में तय किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारी 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 और 1992 के शीर्षक वाद संख्या 31 में पारित निर्णय और डिक्री की अवहेलना कर रहे हैं और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं और उनके बंदोबस्तियों को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 6 को दिनांकित 21.02.2024 आदेश द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। और प्रतिवादी सं. 6 के पति द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है। इस प्रकार, 24.04.2024 को एक संयुक्त आवेदन दायर किया गया है, इसलिए नोटिसों को वैध रूप से जारी किया गया माना जाता है और प्रतिवादी नं. 6 का प्रतिनिधित्व अब उनके विद्वान वकील द्वारा किया जा रहा है।

9. विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी नं. 2 की ओर से दिनांकित 03.05.2024 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें एक याचिका दायर की गई/दलील दी गई है कि रिट आवेदन स्वीकार्य नही है क्योंकि सी.डब्लू.जे.सी. सं. 19883/2021 न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है । इसके अलावा, जलकर बिहार राज्य के हैं जैसा कि खातियाँन (अनुलग्नक-डी) से प्रकट होगा, इस प्रकार, जिला मत्स्य अधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागलपुर ने परवाना समिति के पक्ष में ज्ञापन सं. 608 दिनांकित 01.08.2023 (अनुलग्नक-सी) के माधयम से 01.07.2023 से 30.06.2024 की अवधि के लिए जारी किया। । इसके अलावा, गलती से 13 जलकरों का उल्लेख दिनांकित 01.08.2023 के ज्ञापन में किया गया था, जबकि केवल 12 जलकर थे, इसलिए गलती को सुधारने के लिए दिनांकित

05.08.2023 (अनुलग्नक-डी) का शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील के उक्त तर्क का जोरदार खंडन किया और प्रस्तुत किया कि यह दावा करना पूरी तरह से अधिकारियों के मुंह में नहीं है कि प्रश्नगत जलकर बिहार राज्य के हैं क्योंकि बिहार राज्य ने 1965 के शीर्षक मुकदमा संख्या 23 में पारित निर्णय और डिक्री को कभी चुनौती नहीं दी जब बिहार राज्य एक पक्ष था।

11. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अदालत का ध्यान जवाबी हलफनामे के पैरा 13 की ओर आकर्षित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा एक विचित्र रुख अपनाया गया है कि 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय और डिक्री को राज्य के संज्ञान में नहीं लाया गया था, इसलिए राज्य इसे चुनौती देने पर विचार कर रहा है और 1992 के शीर्षक वाद संख्या 31 में निर्णय और डिक्री के खिलाफ 2021 की शीर्षक अपील संख्या 31 (अनुलग्नक-ई) के रुप में एक अपील दायर की जा रही है। और यह विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नौगाचिया के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

12. इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि मामला 15.01.2025 पर लिया गया था और राज्य को उस मामले में आगे निर्देश लेने का निर्देश दिया गया था, जिस पर विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर से बात की थी और एक जांच के बाद प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में वर्ष 2024-25 के लिए किए गए समझौते पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर के स्तर पर निर्णय लिया गया है।

13. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह राज्य की शक्ति और कलेक्टर और जिला मत्स्य अधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी

अधिकारी के दुस्साहस को दर्शाता है कि इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए तत्काल रिट आवेदन के लंबित रहने के बावजूद जिसमें एक रुख अपनाया गया है कि बिहार राज्य को 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में याचिकाकर्ताओं के निजी जलकरों के साथ हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी राज्य अधिकारी लगातार निजी प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में जलकरों का बंदोबस्त कर रहे हैं। और जब मामला 15.01.2025 पर लिया गया था और एक आदेश पारित किया गया था जिसमें विद्वान राज्य वकील को मामले में आगे निर्देश लेने की आवश्यकता थी और निर्देश के आधार पर यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में वर्ष 2024-2025 के लिए रोक लगा दी गई है, जो पूरी तरह से दर्शाता है कि जलकरों को 2024-2025 अवधि के लिए बंदोबस्ती की गई थी और याचिकाकर्ताओं को इसकी जानकारी भी नहीं थी।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि राज्य ने आज तक 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए वे याचिकाकर्ताओं के जलकरों को भी नहीं छू सकते हैं और उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे जलकरों पर याचिकाकर्ताओं के निजी अधिकारों में हस्तक्षेप न करें। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में लिया गया रुख कि राज्य 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने पर विचार कर रहा है, यह पूरी तरह से दर्शाता है कि राज्य अवकाशकालीन मुकदमेबाजी में लिप्त है और इस न्यायालय के समक्ष ऐसा रुख अपनाने में शर्मिंदा भी नहीं है।

15. निजी प्रतिवादी नं. 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि वह 15.01.2025 को मामले में पेश हुआ है और तत्काल रिट आवेदन में विवादित जलकर वही जलकर नहीं हैं जिनका उल्लेख 1965 के शीर्षक मुकदमा संख्या

23 में पारित निर्णय और डिक्री में मिलता है।

16. प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की उक्त प्रस्तुति का याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा जोरदार खंडन किया गया है। और यहां तक कि राज्य भी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करता है कि जलकर समान/वही/एक ही हैं और याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सिविल अधिकार क्षेत्र की एक सक्षम अदालत द्वारा एक आदेश पारित किया गया है।

17. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, न्यायालय एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके याचिकाकर्ताओं को परेशान कर रहा है। 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दिए बिना अधिकारी लगातार निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में जलकरों का बंदोबस्त कर रहे हैं जो यह पूरी तरह से दर्शाता है कि अधिकारियों को सक्षम सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के लिए कोई सम्मान नहीं है, बल्कि यह एक धारणा देता है कि अधिकारी सिविल न्यायालय के आदेश को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में की गई दलीलें इस कारण से अवमानना की सीमा पर हैं कि बिहार राज्य 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में एक पक्ष था और उक्त शीर्षक मुकदमे में निर्णय और डिक्री वर्ष 1973 में विवाद पर पारित की गई थी और मुकदमे का निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लिया गया था और बिहार राज्य ने 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित उक्त निर्णय और डिक्री को कभी भी किसी भी उच्च मंच के समक्ष चुनौती नहीं दी, लेकिन फिर 51 वर्षों के बाद एक याचिका दायर की गई है कि राज्य अधिकारी उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने पर विचार कर रहे हैं, जो 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में पारित किया गया था, जो प्रतिवादी अधिकारियों के आचरण को पर्याप्त/स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है, उतना कम कहा जाए तो उतना ही बेहतर है।

18. पक्षकारों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट-सह-कलेक्टर, भागलपुर और जिला मत्स्य अधिकारी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागलपुर को निर्देश देता है कि वे याचिकाकर्ताओं के निजी जलकरों में तब तक हस्तक्षेप न करें जब तक कि 1965 के शीर्षक वाद संख्या 23 में निर्णय और डिक्री पारित नहीं हो जाती।

19. रिट आवेदन का निपटारा उपरोक्त निर्देशन और अवलोकन के साथ किया जाता है।

(सत्यव्रत वर्मा, न्यायमूर्ति)

कुंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।